भारत सरकार
त्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1201
30 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

मछली पकड़ने में चुनौतियां

1201 श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार द्वारा जलक्षेत्र में सतत मत्स्यपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) मछली पकड़ने के कोटे का निर्धारण और क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है ताकि अत्यधिक मछली पकड़ने को रोका जा सके और मछली भंडार को संरक्षित किया जा सके;
(ग) मछली पकड़ने पर निर्भर तटीय समुदायों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है;
(घ) मछलियों के संरक्षण में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता संबंधी अद्यतन जानकारी क्या है;
(ङ) मत्स्यपालन पर निर्भर उद्योगों को अधिक संधारणीय पद्धतियों की ओर बढ़ने के लिए क्या सहायता प्रदान की जा रही है;
(च) विशेषकर साझे जल क्षेत्रों में मत्स्य प्रबन्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने की क्या योजना है;
(छ) सरकार किस प्रकार मछुआरा समुदायों की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संरक्षण लक्ष्यों को संतुलित करने की योजना बना रही है; और
(ज) विशेषकर मछली स्टॉक में उतार-चढ़ाव और आर्थिक दबाव जैसी हाल की चुनौतियों के मद्देनजर कन्याकुमारी में मछुआरों की आजीविका में सहायता देने और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) भारत सरकार ने जिम्मेदार और टिकाऊ (सस्टेनेबल) मत्स्यन प्रथाओं के दिशानिर्देशों के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशेरीस, 2017 (एनपीएमएफ, 2017) को अधिसूचित किया है । मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार 5 साल (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिए 20050 करोड़ रूपये के निवेश के साथ 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना को लागू कर रहा है, जिसके तहत मत्स्य भंडार (फिश स्टॉक) को बढ़ाने के लिए देश के समुद्र तट पर सी रेंचिंग और आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना जैसी गतिविधियों में सहायता प्रदान की जाती है । मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की गई विशेषज्ञ समितियां सर्वोत्तम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके भारतीय ईईजेड में संभावित मात्स्यिकी संसाधनों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन कर रही है। सतत मात्स्यिकी सुनिश्चित करने के लिए देश में लागू किए गए संरक्षण और प्रबंधन उपाय जैसे कि पेयर्ड बॉटम ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग और मत्स्यन गतिविधि में आर्टिफ़िशियल एलईडी लाइट का उपयोग पर प्रतिबंध, मानसून और मत्स्य प्रजनन अवधि के दौरान

61 दिनों की अवधि के लिए भारतीय ईईजेड में मत्स्यन गतिविधि पर एक समान (योनिफ़ोर्म) प्रतिबंध, फिशिंग वेस्सल्स की विभिन्न श्रेणियों के लिए मत्स्यन क्षेत्रों का सीमांकन, गियर एंड मेश-साइज़ प्रतिबंध, मत्स्य का न्यूनतम वैध आकार (एमएलएस), समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) और समुद्री रिजर्व, टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाइस (टीईडी) का उपयोग, लुप्तप्राय, संकटग्रस्त और संरक्षित (ईटीपी) प्रजातियों की सुरक्षा, मछुआरों को सतत प्रथाओं और संसाधन संरक्षण के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आदि। इसके अलावा, सतत मत्स्यन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए तटीय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर एडवाइजारी जारी की जाती है।

(ख) भारत में मछुआरों के लिए मत्स्यन (फिशिंग) के कोटे का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, भारत के समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कानूनों, विनियमों और नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत मात्स्यिकी सुनिश्चित कि जाती है । आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान/सेंट्रल मरीन फिशेरीस रेसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमएफआरआई) द्वारा प्रकाशित भारत की समुद्री मत्स्य स्टॉक स्थिति 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जल में समुद्री मत्स्य स्टॉक ठीक स्थिति में हैं और 2022 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यांकन किए गए 135 मत्स्य स्टॉक में से 91.1% सस्टेनेबल पाए गए हैं ।

(ग) पीएमएमएसवाई के अंतर्गत मत्स्यन प्रतिबंध/मंद अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े मछुआरों को आजीविका और पोषण सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मछुआरों और तटीय समुदायों के लिए अतिरिक्त आजीविका प्रदान करने के लिए ऑपन-सी केज-कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, बाइवाल्व या मसल्स की खेती जैसी समुद्री कृषि गतिविधियाँ की जाती हैं। पीएमएमएसवाई के तहत, पारंपरिक मछुआरों के लिए नावों (रीपलेसमेंट) और जालों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, गहरे समुद्र में मत्स्यन जहाजों (फिशिंग वेस्सल्स) के अधिग्रहण और निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा मत्स्यन जहाजों को अपग्रेड करने, संचार और ट्रैकिंग उपकरणों और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा किट के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मत्स्यन के सुचारू संचालन की सुविधा और मछुआरों को मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिए, फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स, पोस्ट-हार्वेस्ट और कोल्ड चेन सुविधाओं, फिश ट्रांसपोर्ट इकाइयों, फिश मार्केट्स, प्रसंस्करण और मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयों आदि जैसे फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीएमएमएसवाई के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए, भारत सरकार ने तटीय राज्यों और द्वीपों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (एमपीए) को अधिसूचित किया है; इसके अतिरिक्त, मछलियों की संख्या (फिश पॉपुलेशन) सहित समुद्री प्रजातियों के प्रभावी संरक्षण के लिए 106 तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की गई है और उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों (आईसीएमबीए) के रूप में प्राथमिकता दी गई है।

(ड़) पीएमएमएसवाई को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्र के दृष्टिकोण से लागू किया जा रहा है जो मछुआरों की आर्थिक समृद्धि और कल्याण में एक सतत और जिम्मेदार तरीके से योगदान देता है।

मछुआरों और मात्स्यिकी पर निर्भर उद्योगों को अधिक सस्टेनेबल प्रथाओं को अपनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएमएसवाई के तहत कार्यान्वित की गई गतिविधियों को इस उत्तर के भाग (क) से (ग) के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

(च) भारत समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस), स्ट्रैडलिंग और अत्यधिक प्रवासी मत्स्य स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता (यूएनएफएसए), राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता (बीबीएनजे समझौता), और जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी)। भारत क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठनों (आरएफएमओ) का सदस्य है और क्षेत्रीय मात्स्यिकी के सतत प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसके अलावा, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) का एक संस्थापक सदस्य है, जिसमें मत्स्य प्रबंधन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत साझा मात्स्यिकी संसाधनों के प्रबंधन के लिए कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों में शामिल रहा है।

(छ) एनपीएमएफ, 2017 का व्यापक लक्ष्य देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए सस्टेनेबल हार्वेस्ट उत्पादन के माध्यम से भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र/एक्सक्लूसिव एकोनोमिक ज़ोन (ईईजेड) के समुद्री संसाधनों के स्वास्थ्य और पारिस्थितिक अखंडता को सुनिश्चित करना है।

(ज) राज्य सरकार से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने कन्याकुमारी जिले सहित तमिलनाडु में मछुआरों की आजीविका को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार को 376.91 करोड़ रुपये के केंद्रीय अंश के साथ कुल 934.23 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं के लिए पीएमएमएसवाई के तहत प्रशासनिक मंजूरी दी है । कन्याकुमारी में मछुआरों की आजीविका में सहायता प्रदान करने और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्यन प्रतिबंध और मंद अवधि के दौरान राहत सहायता, राज्य सरकार द्वारा मत्स्यन नौकाओं को डीजल और रियायती दर पर औद्योगिक केरोसीन पर कर छूट प्रदान करना, और एफआरपी नौकाओं और डीप सी फिशिंग बोट्स की खरीद के लिए सहायता, आउट बोर्ड इंजन, फिशिंग नेट, आइस बॉक्स आदि की खरीद के लिए पीएमएमएसवाई और राज्य सरकार के तहत सहायता प्रदान करना शामिल है।

*****